रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-27092025-266475
CG-TL-E-27092025-266475

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4226] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947
No. 4226] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 23 सितम्बर 2025

का.आ. 4344(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20(ए) की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), राजपत्र सं.366, दिनांक 22.01.2025 (इसके पश्चात उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) में प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में संख्यांक का.आ. सं.370(ई), दिनांक 21.01.2025 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् तेलंगाना राज्य के भद्राद्रि कोत्तागूडेम जिले में विशेष रेलवे परियोजना, " डोर्नकल और भद्राचलम स्टेशनों के बीच रेलपथ दोहरीकरण " के निष्पादन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचारपत्रों, " ऑल इन वन, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, मन तेलंगाना और विविधा " में 29 जनवरी, 2025 को सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर, निर्माण-IV, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, उप विभागीय मजिस्ट्रेट/राजस्व मंडल अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण), कोत्तागूडेम को तेलंगाना राज्य के भद्राद्रि कोत्तागूडेम जिले के लक्ष्मीदेवीपल्ली मंडल के कारुकोंडा गाँव के लिए कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई.

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अत: अब केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और आगे यह कि केंद्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उप-धारा (2) के अनुसरण में, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए भद्राद्रि कोत्तागूडेम जिला क्षेत्राधिकार के कोत्तागूडेम मंडल के सीमा के भीतर डोर्नकल जंक्शन और भद्राचलम रोड स्टेशनों के बीच रेलपथ दोहरीकरण. विशेष रेलवे परियोजना के अंतर्गत किसी संरचना सहित या उसके रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

गाँव : कारुकोंडा			**मंडल : लक्ष्मीदेवीपल्ली**				**जिला : भद्राद्रि कोत्तागूडेम**	
क्रम सं.	**एसडीआर के अनुसार सर्वेक्षण सं.**	**भू भारती के अनुसार सर्वेक्षण सं.**	**व्यवसाय के अंतर्गत क्षेत्र एकड़ गुंटा में**	**टाइटल का प्रकार**	**भूमि का प्रकार**	**पट्टेदार एवं एंजॉयर का नाम**	**अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र एकड़ गुंटा में**	**संरचनाएं / पेड़ इत्यादि, यदि कोई हो तो**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	264/1/44/आ/1/1	264/1	4.36	पट्टा	शुष्क	मोरीमेकला रामुलु सुपुत्र वीरास्वामी (पी) वर्स लक्ष्मय्या सुपुत्र नागय्या (ई)	0.23	यूकलिप्टस/ जमाइल -650 वेपा / नीम का पेड़ - 20
2	264/1/44/आ/2	264/1	7.08	पट्टा	शुष्क	मोरीमेकला रामुलु सुपुत्र वीरास्वामी (पी और ई)	0.21 ½	यूकलिप्टस/ जमाइल-600
3	264/1/194/आ2	264/1	0.26	सरकारी भूमि	शुष्क	सरकारी भूमि (महासुरा)	0.26	कुछ नहीं
4	264/1/192/अ/2	264/1	1.10	पट्टा	शुष्क	हलवत वीरन्ना सुपुत्र लक्ष्मण (पी और ई)	0.02	-कुछ नहीं-
						कुल ::	**1.32½**	

[फा. सं. W.Con.182/SRP-05/DKJ-MU/23-24/246/20E/230925]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Central Railway)
NOTIFICATION

Secunderabad, the 23rd September, 2025

S.O. 4344(E).— Whereas, by the notification by Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number SO No.370 (E), Dated. 21.01.2025 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3 Sub section (ii), Gazette No.366, dated. 22.01.2025 (herein after referred to as said notification) and issued under sub section (1) of section 20 (A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of the Special Railway Project, "Doubling of Railway line between Dornakal and Bhadrachalam stations" in the District of Bhadradri Kothagudem in the state of Telangana.

And whereas an extract of this notification was published in the daily newspapers 'All in one, The New Indian Express, The Hindu, Mana Telangana & Vividha' on 29th January, 2025 with the approval of Sunil Kumar Verma, Chief Engineer, Construction-IV, South Central Railway, Secunderabad, under sub -section (4); Section 20A of this Act.

And Whereas, Sub Divisional Magistrate/Revenue Divisional Officer and Competent Authority (L.A), Kothagudem have not received any objections for Karukonda village of Laxmidevipalli Mandal of Bhadradri Kothagudem District of Telangana State.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20(E) of this Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, on receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands mentioned in the Schedule have been annexed, to be obtained here for the purpose mentioned above;

Further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20(E) of this Act, the Central Government, hereby declares on publication of notification in the Official Gazette, that the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government is from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Railway doubling track between Dornakal Junction and Bhadrachalam Road Stations within the limits of Kothagudem Division of Bhadradri Kothagudem District jurisdiction for passenger and freight facility. Brief description of land to be acquired with or without structures in a particular Railway project.

Village: Karukonda, Mandal: Laxmidevipalli, District: Bhadradri Kothagudem

Sl. No.	Sy. No. as per SDR	Sy.No. as per Bhu Bharathi	Area under Occupation in Ac.gts	Type of Title	Type of land	Name of the Pattadar & enjoyer	Extent under Acquisition in Ac.gts	Structures/ Trees etc., if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	264/1/44/AA/1/1	264/1	4.36	Patta	Dry	Morimekala Ramulu S/o Veeraswamy (P) Varsa Laxmaiah S/o. Nagaiah (E)	0.23	Eucalyptus/ Jamayil-650 Vepa / Neem Trees-20
2	264/1/44/AA/2	264/1	7.08	Patta	Dry	Morimekala Ramulu S/o Veeraswamy (P&E)	0.21 ½	Eucalyptus/ Jamayil-600
3	264/1/194/AA2	264/1	0.26	Govt land	Dry	Government land (Mahasura)	0.26	NIL
4	264/1/192/A/2	264/1	1.10	Patta	Dry	Halavath Veeranna S/o Laxman (P&E)	0.02	-Nil-
						TOTAL::	**1.32 ½**	

[F. No. W.Con.182/SRP-05/DKJ-MU/23-24/246/20E/230925]
SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.27 15:05:00 +05'30'